पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जुलाई, 2008 ई0 (आषाढ़ 14, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–27

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	299–302	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	165–176	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / त्याग–पत्र

18 जून, 2008 ई0

संख्या 1605 / तीस–1–2008–25(5) / 2008–श्री दीपक आर्या, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चम्पावत के पत्र दिनांक 19–05–2008 में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1827 / XIV–33 / Admin.A / 2008, दिनांक 23 मई, 2008 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय श्री दीपक आर्या, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चम्पावत का त्याग–पत्र तात्कालिक प्रभाव से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग–1

विज्ञप्ति

20 जून, 2008 ई0

संख्या 2382 / VII-I / 48–ख / 2008–जनपद बागेश्वर के ग्राम बसूकना, तहसील कपकोट में 91.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सोपस्टोन खनन पट्टे के नवीनीकरण चाहने सम्बन्धी श्री रामपाल सिंह कटियार, प्रो0 कटियार मिनरल्स, निवासी नवीननगर, कानपुर उत्तर प्रदेश के आवेदन पत्र दिनांक 24–10–1998 को शासनादेश संख्या 2061 / VII-I / 48–ख / 2008, दिनांक 01 मई, 2008 के द्वारा शासन द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त क्षेत्र को खनिज परिहार नियमावली 1960 के नियम–59 के अधीन विज्ञापित किया जाता है जिसके मानचित्र जिलाधिकारी बागेश्वर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म देहरादून के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पी0 सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण / समायोजन

25 जून, 2008 ई0

संख्या 375 / 2008 / 17(100) / XXVII(8) / 08–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत उपायुक्त स्तर के अधिकारियों का एतद्द्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरण / समायोजन किया जाता है :–

अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित / समायोजित पद / स्थान का नाम	प्रतिस्थानी का नाम
1–श्री आई0एस0 बृजवाल	उपायुक्त (क0नि0), प्रथम एवं द्वितीय, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार आहरण वितरण अधिकारी, मण्डल कार्यालय, देहरादून	उपायुक्त (वि0अनु0शा0 / प्र0), हरिद्वार एवं अतिरिक्त प्रभार आहरण वितरण अधिकारी, मण्डल कार्यालय, हरिद्वार	श्री बी0 बी0 मठपाल

अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित/समायोजित पद/स्थान का नाम	प्रतिस्थानी का नाम
2—श्री एन0सी0 शर्मा	उपायुक्त (क0नि0), प्रथम एवं द्वितीय, काशीपुर एवं अतिरिक्त प्रभार आहरण वितरण अधिकारी, काशीपुर	उपायुक्त (वि0अनु0शा0/प्र0), देहरादून	श्री टी0 पी0 नौटियाल
3—श्री बी0बी0 मठपाल	उपायुक्त (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन), हरिद्वार	उपायुक्त (क0नि0) प्रथम एवं द्वितीय, काशीपुर तथा अतिरिक्त प्रभार आहरण वितरण अधिकारी, काशीपुर	श्री एन0सी0 शर्मा
4—श्री टी0पी0 नौटियाल	उपायुक्त (वि0अनु0शा0/प्र0), देहरादून	उपायुक्त (क0नि0), प्रथम एवं द्वितीय, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार आहरण वितरण अधिकारी, मण्डल कार्यालय, देहरादून	श्री आई0एस0 बजवाल

2—अतिरिक्त कार्य भार के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को पृथक से कोई वेतन/भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरित/समायोजित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग—2

अधिसूचना

25 जून, 2008 ई0

संख्या 505/XIII-II/483(5)/2004—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 203/जलागम/कृषि/2002, दिनांक 15 मई, 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के लिये स्वीकृत संरचना के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 450/XXVII(6)/2006, दिनांक 22—12—2006 एवं शासनादेश संख्या 201/XXVII(6)/2007, दिनांक 13—07—2007 के क्रम में जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से लेखा संवर्ग का गठन करने के साथ—साथ निम्नलिखित पदों को लेखा संवर्ग में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सहायक लेखाकार	4500—125—7000	8
2.	लेखाकार	5500—175—9000	4
		योग	12 (बारह)

आज्ञा से,
एम0 एच0 खान,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

26 मई, 2008 ई0

संख्या 04 नो0 (एच0)xxxvi(1)/2008–02 नो0एच0/2007–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती, पुत्र स्व0 हरीबल्लभ उप्रेती, अधिवक्ता को दिनांक 26–5–2008 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय चम्पावत के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

आर0डी0 पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 04 no/(H)xxxvi(1)/2008-02 no(H)/2007,** dated May 26, 2008 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

May 26, 2008

No. 04 no(H)/xxxvi(1)/2008-02 no(H)/2007--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Girish Chandra Upreti, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-5-2008 for Head Quarter Champawat and in exercise of the powers under Sub-Rule (4) of Rule-8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Girish Chandra Upreti S/o Late Shri Hari Ballabh Upreti be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

R.D. PALIWAL,
Secretary & L.R.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/496–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जुलाई, 2008 ई0 (आषाढ़ 14, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 18, 2008

No. 137/UHC/XIV/11/Admin. A-2008--Sri Ritesh Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Almora, is hereby sanctioned medical leave for 16 days w.e.f. 26.05.2008 to 10.06.2008.

June 18, 2008

No. 138/UHC/XIV/16/Admin. A--Sri Ashok Kumar Kacker, the then District & Sessions Judge, Bageshwar, presently posted as Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Uttarakhand, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 17 days 21.04.2008 to 07.05.2008, with permission to prefix 18.04.2008 as Mahavir Jayanti, 19.04.2008 as Local holiday, 20.04.2008 as Sunday.

By Order of the Court,

Sd./-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

June 20, 2008

No. 139/UHC/Admin. A/2008--Pursuant to the Government Notification No. 106/XXXVI(1)/08-245G/2001, dated 17.06.2008, issued in continuation of the Government Notification No. 277/XXXVI(1)/07-245G/2001, dated 20.06.2007, superseding Sl. No. 1 of Schedule-I and Notification No. 403/Nyay Anubhag/2001, dated 07.06.2001, superseding Sl. No. 6 of Schedule-I, in exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of Section 11 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar and Civil Judge (Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal, as specified in column no. 2 of Schedule-1 below with the local area as specified in column no. 4 respectively, shall preside over the special court for trying cases under the enactments specified in Schedule-2 of said notification.

Schedule-1

Sl. No.	Name of the Court	Name of the District	Local Area
1	2	3	4
1.	Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur	Udhamsingh Nagar	Local area of Tehsil Kashipur, Bajpur and Jaspur.
2.	Civil Judge (Jr. Div.)/Judicial Magistrate, Kotdwar	Pauri Garhwal	Local area of Tehsil Kotdwar, Yamkeshwar, Lansdowne, Dhoomakot, Satpuli and Chaubattakhal.

June 20, 2008

No. 140/UHC/Admin. A/2008--In supersession of this Court's Notification No. 132/UHC/Admin.A/2008, dated 12.06.2008, Sri Bindhyachal Singh, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar to be the Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, in addition to his duties.

June 20, 2008

No. 141/UHC/Admin. A/2008--In supersession of this Court's Notification No. 133/UHC/Admin.A/2008 dated 12.06.2008, Sri Ajay Chaudhary, Chief Judicial Magistrate, Chamoli to be the Asstt. Sessions Judge [Civil Judge (Sr. Div.)]/1st F.T.C. Court, Chamoli, in addition to his duties.

June 20, 2008

No. 142/UHC/Admin. A/2008--In supersession of this Court's Notification No. 134/UHC/Admin.A/2008 dated 12.06.2008, Sri Manish Mishra, Chief Judicial Magistrate, Champawat to be the Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, in addition to his duties.

June 20, 2008

No. 143/UHC/Admin. A/2008--In supersession of this Court's Notification No. 135/UHC/Admin.A/2008, dated 12.06.2008, Sri Dhananjay Chaturvedi, Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal to be the Asstt. Sessions Judge [Civil Judge (Sr. Div.)]/F.T.C. Court, Tehri Garhwal, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

17 मई, 2008 ई0

पत्रांक 529 / आयु0क0उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2008–09 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0 दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi) जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों का क्रमांक
1.	सर्वश्री चौपड़ा ट्रेडर्स बैंक रोड, पिथौरागढ़	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007 (क्रमांक 1220748)

11 जून, 2008 ई0

पत्रांक 816/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0 दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री ऊधमसिंह नगर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–869596
2.	सर्वश्री एक्में पावर सोल्यूशन, ई–10 शान्ति कालोनी, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–353813
3.	सर्वश्री वरदान आटोमेन्शन, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–357922
4.	सर्वश्री भारत मशीनरी एजेन्सी, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–354236
5.	सर्वश्री पारस इण्टस्ट्रीयल प्रोडक्टस, सिविल लाईन, रुड़की	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–04	U.K. VAT-A 2007–260330, 260331, 260332, 260333

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

13 जून, 2008 ई0

पत्रांक 850/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0 दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री पारस इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्टस, सिविल लाईन, रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	फार्म–सी–05	U.K. VAT-C 2007–030620, 030621, 030622, 030623, 030624

एल0 एम0 पन्त,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

17 जून, 2008 ई0

पत्रांक 903/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0 दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री सिंघा मैटल्स लि0, इण्ड0 एरिया, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–443758
2.	सर्वश्री शंकर एण्ड सन्स पुरानी सब्जी मण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–02	U.K. VAT-A 2007–135232, 135233
3.	सर्वश्री आक्सफोर्ड फार्मेस्यूटिकल्स, किशनपुर, रुड़की, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–03	U.K. VAT-A 2007–266622, 573137, 429643

20 जून, 2008 ई0

पत्रांक 972/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0 दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री भगवती सेल्स, हबीबपुर कुड़ी, लक्सर (हरिद्वार)	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–586731
2.	सर्वश्री अन्नु ट्रेडिंग कम्पनी मैन बाजार, लक्सर, (हरिद्वार)	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–01	U.K. VAT-A 2007–0831450
3.	सर्वश्री रुद्रपुर साल्वेन्ट प्रा0लि0, किच्छा रोड, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–xvi)–02	U.K. VAT-A 2007–867491, 916083

वी0 के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इ0),प्रथम तल,
नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून

अधिसूचना

मार्च 28, 2008

सं0 एफ–9 (16)/आर.जी./2008/1258–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 2.2 में देखें :

(1) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2 क)" अनुज्ञप्तिधारी, निवेदन किये गये संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यदि यह साध्य हुआ तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन–पत्र की प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47 के अधीन उससे अपेक्षानुसार, आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा।

"(2 ख)" यदि निरीक्षण करने पर अनुज्ञप्तिधारी को कोई त्रुटि मिलती है, जैसे कि संस्थापना पूरी नहीं की गयी है या कंडक्टर या जोड़ों के नंगे सिरों को इन्सुलेटेड टेप से उचित रूप से ढका नहीं गया है या वायरिंग इस प्रकार की है कि वह संपत्ति/जीवन के लिए खतरनाक है, इत्यादि, तो वह संलग्नक I(ए) पर दिये प्रारूप में उचित रसीद प्राप्त कर उसी समय आवेदक को इसकी सूचना देगा।

"(2 ग)" यदि आवेदन में सही व पूर्ण पता नहीं दिया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी इसे भी अभिलेखित करेगा साथ ही संपत्ति के समीप का सीमा चिन्ह तथा जिस खंभे से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है, उसकी संख्या भी अभिलेखित करेगा। भविष्य में मीटर रीडिंग व बिलिंग के लिए यह जानकारी आवश्यक है।

"(2 घ)" आवेदक 15 दिनों के भीतर समस्त त्रुटियां दूर करवाएगा तथा पावती प्राप्त कर लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है या त्रुटियों को दूर करने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।

"(2 ड़)" आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर कर देने की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी सूचना प्राप्ति से 5 दिन के भीतर संस्थापना का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बतायी त्रुटियां अब भी विद्यमान पायी जाती हैं तो अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक I(ए) पर दिये प्रपत्र में उसे पुनः अभिलेखित करेगा तथा उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपस्थित उसके प्रतिनिधि को सौंपेगा। तब आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार इसकी सूचना लिखित में तथा पावती प्राप्त कर दी जाएगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी की इस कार्यवाही से आवेदक व्यथित होता है तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अधिमत इस मामले में अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

यह विनियम दिनांक 05–04–2008 को गजट में अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

"(2 च)" अनुज्ञप्तिधारी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि परिसंपत्ति पर कोई देय बकाया तो नहीं हैं, तथा यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को 15 दिन के भीतर बकाया देय जमा करने होंगे तथा ऐसा न करने पर उसका आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित में इसकी सूचना उससे पावती प्राप्त कर दी जाएगी।

(2) खण्ड (3) के पहले वाक्य में "अनुज्ञप्तिधारी आवेदित–संयोजन की तकनीकी साध्यता का परीक्षण करेगा तथा यह साध्य पाया गया तो" वाक्यांश को "यदि परीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है या त्रुटियां दूर कर ली गयी पायी जाती हैं तथा कोई देय बकाया नहीं है या देय चुका दिये गये हैं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) खण्ड–3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(3 क) यदि आवेदक को, आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर बकाया देयों के लिए कोई कमी का नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित किया गया भार संस्वीकृत कर लिया गया समझा जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से मना नहीं करेगा।"

3. मुख्य विनियम के विनियम 2.3 के उपविनियम 2.3.3 में:

(1) खण्ड (3) में "10 दिनों" शब्दों को "दो बिलिंग चक्र" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

4. मुख्य विनियम के विनियम 3.1 के उपविनियम 3.1.2 में:

(1) खण्ड (6) के पहले वाक्य में "घरेलू उपभोक्ता" शब्दों को "उपभोक्ता" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मुख्य विनियम के विनियम 4.1 में:

खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोडा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 126 के अधीन, ऐसा संयोजन प्रदान करने वाले उपभोक्ता के अधीन उपयुक्त कार्यवाही भी कर सकता है।"

6. मुख्य विनियम के विनियम 5.1 में:

(1) उप–विनियम (5.1.1) के खण्ड (6) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"मीटर पर केवल पहली सील न पाए जाने पर या उसमें गड़बड़ी पर या मीटर के कांच के टूटे होने की पहली घटना पर तब तक चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग के पैटन से या किसी अन्य उपलब्ध साक्ष्य से इसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तथापि, इसके पश्चात् सील के न पाए जाने से इसमें गड़बड़ी या मीटर के कांच के टूटे जाने को ऊर्जा की चोरी के संदिग्ध मामले के रूप में लिया जाएगा।"

(2) उप–विनियम (5.1.1) खण्ड (7) के लिए निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(7) यदि ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है तो, अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथास्थिति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी चोरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति तुरन्त काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्विक साक्ष्य अभिग्रहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, चोरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के उपभोक्ता से संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।

(7 क) निरीक्षण की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में उपभोक्ता के विरुद्ध मामला भी दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप–विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तामील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा।

(7 ख) तथापि, उपरोक्त उप–विनियम (7ए) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त उप–विनियम (7) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।"

(3) उप–विनियम (5.1.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) जहां स्थापित हो चुका है कि मामला विद्युत की चोरी का है, वहां अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिकृत हो या अनुज्ञप्तिधारी का कोई अन्य अधिकारी, यथास्थिति, जो कि इस प्रकार अधिकृत पद से उच्च पद का हो, ऊर्जा की ऐसी चोरी के पता लगने पर विद्युत की आपूर्ति काट देगा तथा परिसर से तार/केबल, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित तात्विक साक्ष्य अभिग्रहित कर लेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा अधिकारी, चोरी का पता लगने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, उस अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के उपभोक्ता से संबंधित शिकायत दर्ज कराएगा।

(4 क) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 135 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालय में चोरी का मामला भी दर्ज कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के अनधिकृत उपयोग से संबंधित विनियम 5.2 के उप–विनियम (5.2.3) के खण्ड (4) के अनुसार निर्धारण भी करवाएगा तथा उपभोक्ता को तामील कर उचित रसीद प्राप्त करेगा। उपभोक्ता को इसकी उचित प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा।

(4 ख) तथापि, उपरोक्त विनियम (4 क) के अनुसार निर्धारण राशि या विद्युत प्रभारों के जमा या भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त विनियम (4) में संदर्भित किये अनुसार शिकायत दर्ज कराने के दायित्व में बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटों के भीतर विद्युत की आपूर्ति लाईन बहाल करेगा।"

(4) उपविनियम (5.1.3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5.1.4 विद्युत के पथातरण, चोरी अथवा अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर के साथ छेड़छाड़, उसे हानि पहुंचाना इत्यादि को रोकने के उपाय–

(1) विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर के साथ छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने के खतरे को कम करने तथा रोकने के लिए निवारक उपाय करना आवश्यक है।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक रूप से, अपने परिचालन क्षेत्र में कुल संयोजनों के कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों के निरीक्षण व प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत संयोजनों पर चोरी निरोधक मीटर बॉक्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले 5 वर्षों में सभी व्यक्तियों के परिसर पर संस्थापित मीटरों पर चोरी निरोधक मीटर बक्से लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी, साथ ही साथ सेवा लाईनों की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा करना उचित है तथा जहां–कहीं भी आवश्यक हो, वहां चोरी रोकने/मीटर को बायपास करना रोकने के लिए इसे बदला जाना चाहिए।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी या उसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाने को रोकना सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों के परिसर का नियमित निरीक्षण करने के लिए प्रयासों का विस्तार करेगा। कुल संयोजनों में न्यूनतम 5 प्रतिशत का वार्षिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा धारा 126 एवं 135 के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(5) विशेष रूप से अधिक चोरी वाले इलाकों में अनुज्ञप्तिधारी की सतर्कता टीम द्वारा प्रत्यक्ष चोरी के मामलों का पता लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) अनुज्ञप्तिधारी एक प्रणाली विकसित करेगा तथा उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के उपभोग के नियमित मासिक अनुवीक्षण की तीन के भीतर उचित व्यवस्था करेगा, जिसमें 25 एच.पी. तथा इससे ऊपर की संविदा मांग वाले सभी एल.टी. संयोजन सम्मिलित होंगे। उपभोग में परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, संदेहास्पद मामलों के तुरन्त निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा कि 33 के0वी0 फीडर वार हानियों को पहले चरण में राज्य के बड़े नगरों, अर्थात् देहरादून, हल्द्वानी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल के लिए अगले छः महीनों में ज्ञात किया जाए। जिला मुख्यालय नगरों के 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 के लिए हानियां अगले एक वर्ष के भीतर ज्ञात की जाएंगी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अगले 2 वर्षों के भीतर। अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 फीडर के लिए अपने अधिकारियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही नियत करेगा। प्राथमिक उत्तरदायित्व क्षेत्र के स्थानीय अधिकारी पर तथा द्वितीय उत्तरदायित्व अगले स्तर के वरिष्ठ अधिकारी पर नियत किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी फीडरवार हानियों को कम करने के लिए कदम उठाएगा तथा इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करेगा तथा हानियों में अपेक्षित स्तर की कमी न आने की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी को रोकने तथा उसके उपभोग के अनुवीक्षण के उद्देश्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर सभी एच.टी. संयोजनों पर सुदूर मीटरिंग साधन संस्थापित करने का प्रयास करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, वाणिज्यिक हानियों के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टी.वी. तथा समाचार पत्रों के माध्यम से समुचित प्रचार करने की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत की चोरी को रोकने या इसके अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ व इसको हानि पहुंचाना रोकने के लिए सहयोग मांगेगा। अनुज्ञप्तिधारी, अपने उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों में उपरोक्त के बारे में सूचना के साथ बोर्ड भी लगाएगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी, वर्ष के दौरान फीडरवार हानियां, विद्युत के पथातरण, चोरी या अनाधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों या मीटर से छेड़छाड़ या उसे हानि पहुंचाना रोकने के लिए किये गये प्रयास, अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी, निरीक्षक अधिकारियों को उनकी संरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल प्रदान करने की व्यवस्था करेगा तथा ऐसे लेखे पर व्यय, अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं मे पास थ्रू होंगे। ऐसे सुरक्षा दस्ते, निरीक्षक अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षक अधिकारियों के सदैव साथ जाएंगे।

(12) अनुज्ञप्तिधारी, उन संदिग्ध क्षेत्रों के वितरण प्रवर्तकों पर मीटर संस्थापित करने की व्यवस्था करेगा जहां विद्युत चोरी की संभावना विद्यमान है तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता मीटरों में उपभोग के साथ ऐसे मीटरों के उपभोग का अनुवीक्षण करेगा। यदि वितरण प्रवर्तक मीटर के उपभोग तथा वितरण प्रवर्तक से जुड़े व्यक्तिगत उपभोक्ता मीटरों के उपभोग में असामान्य अन्तर है तो अनुज्ञप्तिधारी उन क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण करवाएगा।

(13) अनुज्ञप्तिधारी की लाईनों पर सीधे कांटा लगाकर चोरी को रोकने के लिए, जहां आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में ऊपरी नंगे तारों के बदले केबल डाल सकता है तथा इस लेखे में व्यय, अनुज्ञप्तिधारी के ए.आर.आर. में एक पास थ्रू होंगे।

(14) सीधे कांटा डालकर चोरी को रोकने के लिए, जहां आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में लघु क्षमता प्रवर्तक का उपयोग कर एच.वी. वितरण प्रणाली (एल.टी. रहित प्रणाली) प्रदान कर सकता है। इस लेखे में व्यय, अनुज्ञप्ति के ए.आर.आर. में एक पास थ्रू होंगे।

(15) अनुज्ञप्तिधारी, वर्तमान उपभोक्ताओं के मीटरों को एक उपयुक्त अवस्थान पर इस प्रकार पुनःस्थित करने के लिए अधिकृत हैं कि वे परिसर से बाहर हों किन्तु चार दीवारी के भीतर हों तथा रीडिंग, परीक्षण, निरीक्षण या संबंधित अन्य कार्य के लिए आसानी से पहुंच योग्य हों।

(16) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर रीडर्स का चक्रानुक्रम इस प्रकार हो कि उनका मीटर रीडिंग का क्षेत्र, छः माह में कम से कम एक बार परिवर्तित हो।"

7. मुख्य विनियम के विनियम 5.2 में:

(1) उपविनियम (5.2.2) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(4) यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.) किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का पूर्ण विवरण देते हुए उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस में समय तथा तिथि का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए तथा यह 7 दिन से कम न हो तथा स्थान जिस पर उत्तर जमा करना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम जिसे यह उत्तर संबोधित करना है, का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।"

(2) उप–विनियम (5.2.3) खण्ड (2) के पहले वाक्य में "अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 15 दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा" वाक्यांश को "अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा ऐसे नोटिस की तिथि से तीस दिन के भीतर कारण देते हुए आदेश पारित करेगा" वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप–विनियम (5.2.3) खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) जहां यह स्थापित हो जाता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी, जिस अवधि में विद्युत का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, उस समस्त अवधि के लिए संलग्नक–X में दिये गये निर्धारण फॉर्मूला के अनुसार ऊर्जा के उपभोग का निर्धारण करेगा तथा यदि, जिस अवधि में ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, उस अवधि को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी अवधि निरीक्षण के ठीक पिछले बारह महीने तक सीमित होगी तथा लागू शुल्क के अनुसार दोगुने पर अंतिम बिल तैयार करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ताओं को बिल तामील करेगा। उपभोक्ता को उचित रसीद की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की वित्तीय तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान की तिथि आगे बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की स्वीकृति दे सकता है। राशि, बढ़ाई गयी अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की समय सूची का कारण देते हुए आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कारण देते हुए आदेश की एक प्रति रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जानी चाहिए।"

8. मुख्य विनियम में अध्याय 6 के पश्चात् अध्याय 7 के रूप में निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा:–

"अध्याय 7 : व्यावृत्तियां :

(1) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाइयां दूर करने की शक्तिया–

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से संभवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है जो इन विनियमों से असंगत न हों।

(3) शिथिलीकरण की शक्ति–

आयोग स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति को उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलीकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।"

9. मुख्य विनियम में संलग्नक 1 के पश्चात् संलग्नक 1(क) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–

संलग्नक 1 (ए)

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47 एवं 48 का संदर्भ लें)
(अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए)

अवरोध प्रतिरोध का परिणाम (फेज कंडक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट्स दबाव डालकर नापा जाए)–

		फेज 1 व अर्थ	फेज–2 व अर्थ	फेज–3 व अर्थ
(1)	फेज व अर्थ के मध्य			

सावधानी–फेज तथा न्यूट्रल या फेजेज के मध्य अवरोध–प्रतिरोध (Insulations Resistance) को उस समय न नापा जाए जब उपभोक्ता के उपकरण जैसे– पंखा, ट्यूब, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण का प्रतिरोध प्रदान करेंगे न कि संस्थापना के अवरोध का प्रतिरोध।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रदान किया गया है तथा यह टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 की अर्थिंग प्रणाली के साथ संयोजित किया गया है।

आपकी विद्युत संस्थापना में निम्नलिखित कमियां पाई गयी हैं। आपसे निवेदन है कि उन्हें 15 दिनों के भीतर अर्थात _____ तक दूर कर लें अन्यथा नये संयोजन के लिए आपका निवेदन व्यपगत हो जाएगा।

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

दिनांक :

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम तथा पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

परिसर का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया है तथा

* मैं परीक्षण से संतुष्ट हूं।

* मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूं तथा विद्युत निरीक्षण के समक्ष अपील फाईल करूंगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू0पी0सी0एल0 के परिसर पर भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 33 के अनुसार एक अर्थ टर्मिनल प्रदान किया है */नहीं किया गया है * तथा यह अर्थ टर्मिनल यू0पी0सी0एल0 की अर्थिंग प्रणाली से जोड़ा गया है */नहीं जोड़ा गया है।*

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

10. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007 मुख्य विनियम के संलग्नक 1 में संलग्नक 1.1 के रूप में जोड़ा जाएगा।

संलग्नक 1.1

अगस्त 07, 2007

संख्या एफ–9(12)/यूईआरसी/2007/434–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 (प्रधान विनियम) में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007" होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 4 (3) के खण्ड (क) में :

(1) उपखण्ड (i) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा।)'

(2) उपखण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्:–

"परन्तु यदि आवेदक ऊपर (i) से (v) तक सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक से (बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के अतिरिक्त) पर क्रमशः विनियम 5 (10) में दी गयी सारणी 1 व विनियम 5 (10) के खण्ड (iii) के अनुसार प्रतिभूति राशि का तीन गुना प्रभार लिया जाएगा। परिसर का स्वामी, यदि उपभोक्ता से भिन्न है तो, ऐसे संयोजन के लिए किसी देय के भुगतान हेतु दायी नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि प्रथम परन्तुक के अधीन आ चुके मामलों में अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति की वर्ष में दो बार, अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल व पहली अक्टूबर को, समीक्षा व पुनर्निर्धारण करने तथा अगले बिलिंग चक्र के विद्युत बिल में इसका समायोजन करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह भी कि यदि उपभोक्ता नियत समय के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गयी प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के अनुसार, उपभोक्ता को तीस दिन का नोटिस देने के पश्चात् उस अवधि हेतु विद्युत आपूर्ति रोक सकता है जिस अवधि तक विफलता जारी रहती है।"

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में :

(1) उप–विनियम (2) के पहले वाक्य में "आवेदन प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र प्राप्ति की तिथि" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप–विनियम (7) के पहले वाक्य में वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से" के स्थान पर वाक्यांश "पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप–विनियम (8) में वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" के स्थान पर वाक्यांश "यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती या यह पाया जाता है कि त्रुटियाँ दूर कर दी गयी हैं" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उप–विनियम (8) के अंत में वाक्यांश "पांच दिन के भीतर" के स्थान पर "आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) उप–विनियम (10) के खण्ड (iii) के तीसरे वाक्य में "दो माह के औसत उपभोग" वाक्यांश के स्थान पर "दो बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) उप–विनियम (11) के खण्ड (ख) में वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि का शोधन, दोनों में से, जो बाद में हो" के स्थान पर वाक्यांश "या बकाया देय धनराशि के शोधन (वसूली) की तिथि या आवेदन की तिथि जो भी बाद में हो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(7) उपविनियम (11) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा:–

स्पष्टीकरण–इस विनियम के लिए "आवेदन" से अभिप्राय है– आवश्यक प्रभारों के भुगतान व अन्य अनुपालनों को दर्शाते हुए दस्तावेजों के साथ उपयुक्त प्रपत्र में सभी तरह से पूर्ण आवेदन।

4. प्रधान विनियमों में विनियम 8 के पश्चात् विनियम 9 के रूप में निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा:–

"9. व्यावृत्तियाँ :

(1) जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ :

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।

(3) शिथिलीकरण की शक्ति :

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलीकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,

पंकज प्रकाश,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/496–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।